न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 04/2020
दायर दिनांक : 24/06/2020
निर्णय दिनांक : 22/01/2025

उनवान

1. कंवलचन्द पिता श्री रेणमल जाति माली निवासी भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. रेखादेवी पत्नि श्री ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवी गायत्री नगर, भूपालसागर

अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री पवन जायसवाल, अधिवक्ता प्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि ग्राम भूपालसागर पटवार हल्का भूपालसागर तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 के संयुक्त खातेइदारी की कृषि भूमि (आराजीयात) स्थित है जिसके खाता संख्या नया 63 होकर आराजीयात खसरा संख्या 1469 रकबा 0.0500 हैक्टयर, खसरा सं. 1471 रकबा 0.0300 हैक्टयर, खसरा सं. 1472 रकबा 0.0400 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.1200 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात प्रत्येक में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 का 1/2, 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज होकर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से उक्त प्रत्येक आराजीयात के 1/2 हक हिस्से पर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजीयात प्रार्थी के मौरूसी मिल्कीयत की है। अप्रार्थिया रेखा देवी ने सन् 2019 में पूर्व खातेदार नारायण लाल से उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा क्रय किया। अप्रार्थिया व उसका पति ओमप्रकाश विधि विरूद्ध उक्त आराजीयात के विशेष भू–भाग पर बल पूर्वक कब्जा करने की नियत से पत्थर डाल निर्माण करना चाहते है जबकि अजनबी केता खातेदार नं. 01 व उसके परिवारजन का ऐसा कृत्य करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः आराजी संख्या 1469, 1471 व 1472 का 1/2 हक हिस्सा प्रार्थी के नाम विभाजन करा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम खाते दर्ज करा लगान बन्दी अलग कराया जाना आवश्यक है। अप्रार्थिया व उसका पति ओमप्रकाश आराजी सं. 1469, 1471 व 1472 के विशेष भू–भाग पर अनाधिकार, बलपूर्वक प्रार्थी का कब्जा हटाना चाहते जिससे अप्रार्थिया व परिवारजन, नौकर, एजेन्ट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना आवश्यक है, रोके जाने अप्रार्थिया को कोई हानि नहीं है, नहीं रोके जाने सें प्रार्थी को अपार क्षति होगी और जिसकी पूर्ति मूल्यों में संभव नहीं हो सकेगी। अप्रार्थिया एवं उसका पति ओमप्रकाश प्रार्थना पत्र में वर्णित कॉलम सं. 02 के विशेष भू–भाग पर निर्माण हेतु पत्थर डाल कब्जा करने पर दिनांक 11.06.2020 को आमादा हुए। प्रार्थी एवं उसके पुत्र ने अप्रार्थिया एवं उनके पति को ऐसा कृत्य करने से रोकना चाहा जिस पर अप्रार्थिया एवं उसके पति ओमप्रकाश गाली गलौच करने लगा अतः बिना प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2020 को पैदा होकर निरन्तर बना हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.11 10:06:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

अप्रार्थिया एवं उसके पति ओमप्रकाश वादगत प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 02 में वर्णित आराजीयात के विशेष भू–भाग पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें।, वादगत आराजीयात के विशेष भू–भाग पर पत्थर डाल निर्माण नहीं करें, प्रार्थी का कब्जा नहीं हटावें, भू–भाग पर पत्थर डाल निर्माण नहीं करे, प्रार्थी का कब्जा नहीं हटावे, ऐसा कृत्य न अप्रार्थिया स्वयं करें, न ही अपने परिवारजन, नौकर एजेन्ट आदि से करावें। इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थिया सादीर फरमाई जावे। दौराने वाद कार्यवाही अप्रार्थिया एवं उसके परिवारजन वादगत वर्णित आराजीयात कॉलम सं. 02 के विशेष भू–भाग पर बलपूर्वक कब्जा कर लेवे तो आदेशात्मक आज्ञा द्वारा अप्रार्थिया को कब्जे से बेदखल कर हक हिस्से अनुसार प्रार्थी को पुनः कब्जा दिलाये जाने की आदेश बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थिया सादर फरमाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री शब्बीर मोहम्मद ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया जो कि शामिल पत्रावली है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 स्वीकार किया जाता है, अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक भूमि की मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.11 10:06:59 IST
Reason: SelfAttested